



2026:AHC:67304

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 9948 वर्ष 2026

सरवन आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आशीष राय, ओम प्रकाश राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, रोहित नंदन पांडे

न्यायालय सं - 67

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश राय, प्रथम सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री रोहित नंदन पांडे और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन मुकदमा लंबित रहने के दौरान बी.एन.एस., थाना-बाबूगढ़, जिला- हापुड़ की धारा - 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352, 103(1) के तहत केस अपराध संख्या-321 वर्ष 2025 में ज़मानत पर आवेदक को रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सड़क पर ट्रैक्टर की पार्किंग को लेकर पक्षों के बीच विवाद हुआ बताया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि 16.11.2025 को लगभग 04:00 बजे, आवेदक ने आठ अन्य सह-अभियुक्तों के साथ सूचनाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर गोली चला दी, जिससे सात लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों में से एक, अर्थात् आयुष, ने बाद में उसे लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, और परिणामस्वरूप, बी.एन.एस. की धारा 103(1) के तहत मामले को एक में बदल दिया गया। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रेम पाल @ पन्नु और संजय की ओर इशारा करने पर किसी भी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी भूरे @ तुषार को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-10275 वर्ष 2026** में दिनांक 26.03.2026 के आदेश के तहत पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसलिए, आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 09.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त को जमानत पर रखा गया है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और अवर न्यायालयों के समक्ष भीड़भाड़ वाली जेलों और आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का हकदार है। तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- सरवन को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या



किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति के मामले में शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से आवेदक को, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रिल०) संख्या-4 वर्ष 2021 31.01.2023 को तय की गई (2024)10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट की गई, इस आदेश की एक प्रति भेजे।

मार्च 31, 2026

एसए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।